



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 5 राँची, मंगलवार, 6 पौष, 1938 (श०)
27 दिसम्बर, 2016 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

21 दिसम्बर, 2016

विषय- NGRBA के अंतर्गत साहेबगंज Municipal Waste Water परियोजना के Third Party Inspection (TPI) हेतु Consultant के रूप में IIT खड़गपुर के असैनिक विभाग को मनोनयन के आधार पर कार्य आवंटन एवं परामर्श शुल्क का भुगतान हेतु प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में ।

संख्या-SPMG/UD&HD/TPI/109/2016-6991-- एन०एम०सी०जी०, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'नमामि गंगे' योजना अंतर्गत पूर्व में साहेबगंज रिभर फ्रंट परियोजना, राजमहल रिभर फ्रंट परियोजना, राजमहल म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर परियोजना तथा साहेबगंज / राजमहल एकीकृत ठोस अपशिष्ट परियोजना के डी०पी०आर० का मूल्यांकन IIT खड़गपुर के असैनिक विभाग के द्वारा किया गया है जिसकी नियुक्ति एन०एम०सी०जी०, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा की गई है ।

2. Third Party Inspection (TPI) के द्वारा किये जाने वाले कार्यों के अंतर्गत परियोजना के संवेदक द्वारा किये जा रहे कार्यों का Physical Progress एवं Quality Assurance को सुनिश्चित करते हुए Commercial & Financial Performance का जांच करना है। साथ ही विभिन्न Compliance to

the statutory requirements तथा Safety/Health Management का Monitoring करना है। इसके अलावा विस्थापितों का पुनर्वास भी उचित तरीके से किया गया है या नहीं इस पर प्रतिवेदन उपलब्ध कराना तथा परियोजना के Commissioning एवं Trial runs के समय अपना बहुमूल्य मंतव्य एवं प्रतिवेदन उपलब्ध कराना है।

3. जुड़को लि० द्वारा साहेबगंज Municipal Waste Water परियोजना की निविदा संपन्न कर न्यूनतम दर दाता M/s UEM India Pvt. Ltd. को स्वीकृति पत्र निर्गत किया जा चुका है। साथ ही संवेदक के द्वारा वर्तमान में कार्य प्रारंभ किया जा चुका है।

4. एन०एम०सी०जी०, नईदिल्ली के द्वारा इस परियोजना के Administrative Approval & Expenditure (AA&ES) के अनुसार एस०पी०एम०जी०, झारखण्ड को इस परियोजना के लिए TPI (Third Party Inspection) हेतु संस्था का चयन करने का निदेश प्राप्त हुआ।

5. NGRBA के Empowered Steering Committee (ESC) के द्वितीय बैठक दिनांक 11 फरवरी, 2011 द्वारा IIT खड़गपुर को Third Party Inspection (TPI) के लिए नियुक्ति हेतु अनुशंसा की गई है।

6. भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकता में शहरों की स्वच्छता एवं नागरिकों की सुविधाएँ प्रदान करने हेतु IIT खड़गपुर के असैनिक अभियंत्रण विभाग को झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम-235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत कार्यहित में मनोनयन के आधार पर TPI का कार्य आवंटन किया जाता है।

7. परामर्शी शुल्क के रूप में One Time Charge for review of project document = Rs. 2,00,000/- (Two Lakh only) तथा Cost of per visit Charges for TPI Service = Rs. 50,000/- (Fifty Thousand only) भुगतेय होगा।

8. संदर्भित प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 14 दिसम्बर, 2016 की मद संख्या-04 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरुण कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।
